

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 18.06.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.06.2025 को थानाध्यक्ष महुली ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 142/2025 धारा 3(1),2(बी)(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त आजाद राजभर पुत्र मुन्नी राजभर निवासी जमिरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त के घर से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

आजाद राजभर पुत्र मुन्नी राजभर निवासी जमिरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।

आपराधिक इतिहास:-

01- मु0अ0स0 440/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

02- मु0अ0स0 652/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

03- मु0अ0स0 660/2024 धारा 112/317(2)/317(5) बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

04- मु0अ0स0 767/2024 धारा 303(2)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

05- मु0अ0सं0 142/2025 धारा 3(1)/2(बी)(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-**

थानाध्यक्ष श्री रजनीश राय, हे0का0 जुबेर अली, का0 अमरजीत यादव, का0 अरविन्द यादव, का0 अभिषेक सिंह ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 25 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 13 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 173 वाहनों से 2,02100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 173 वाहनों से 2,02100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

*****"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के संबंध में 03 अभियुक्तगण को 06-06 माह के सदाचरण, 25-25 हजार के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू दाखिल करने की शर्त पर नियमानुसार अवमुक्त किया गया***
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 18.06.2025 को मा0 सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 364/1994 धारा 323/325/504/506 भा0द0वि0 के मामले में अभियुक्तगण 01. विनोद पुत्र रामचन्द्र 02. कल्लू उर्फ बल्लू पुत्र रामचन्द्र 03. पिन्टू पुत्र रामचन्द्र निवासीगण रेलवे स्टेशन रोड कस्बा खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें 06-06 माह तक सदाचरण बनाये रखने की शर्त, 25-25 हजार रुपयें के निजी बन्ध पत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू दाखिल करने की शर्त पर नियमानुसार अवमुक्त किया गया है ।